


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के सलग्न ग्रुप-एफ के अनुरूप व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय-लोकप्रशासन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-ओए/6004/चयन/16-17 दिनांक 10.06.16 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापको का विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर प्रध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पे-बेण्ड 9300-34800 पीबी.-2 ग्रेड पे 4800 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक 12/09/16 को संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 12/09/16(परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 12/09/2016 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संबंधित संस्था प्रधान पदोन्नत कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शालादर्पण पर कशरवे।


(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/लोकप्रशासन/डीपीसी-पदस्थापन/2016-17 दिनांक 26/8/16
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
5. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
6. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/डीपीसी-पदस्थापन/लोकप्रशासन/2016-17

दिनांक

क्रमांक	दरिष्ठता क्रमांक	दरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	पदस्थापन स्थान	वर्ग	जिला	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान (राजमावि)
1	462	22	1990-1992	RAJANI SHARMA	प्र.अ. रामावि सीतारामपुरी	JAIPUR	06-06-1963	लालसोट-दौसा
2	417	10A	1988-1990	NEERA MATHUR	प्र.अ.रामावि बुढथल बस्सी	JAIPUR	22-12-1962	हिगोनिया-कोटा
3	380	A1	1990-1992	NIRMALA		JAIPUR	20-04-1960	एपीओ शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
4	3736		1988-1990	MAHESH CHANDRA BHATT		BIKANER	06-09-1962	एपीओ शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
5	3852		1988-1990	DHANNA RAM PRAJAPAT		BANSWARA	05-09-1965	एपीओ शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
6	1799		1990-1991	RAM GOPAL VIJAI	राजमावि डारडा हिन्द	TONK	20-11-1967	चांद जी की खेरी (बिजोलिया) भीलवाडा
7	2496		1996-1997	ARJUN LAL	राजमावि लीलवास	ST DUNGARPUR	12-10-1968	मामेर (कोटडा) उदयपुर


(जगदीश चन्द्र पुरोहित)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर